PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

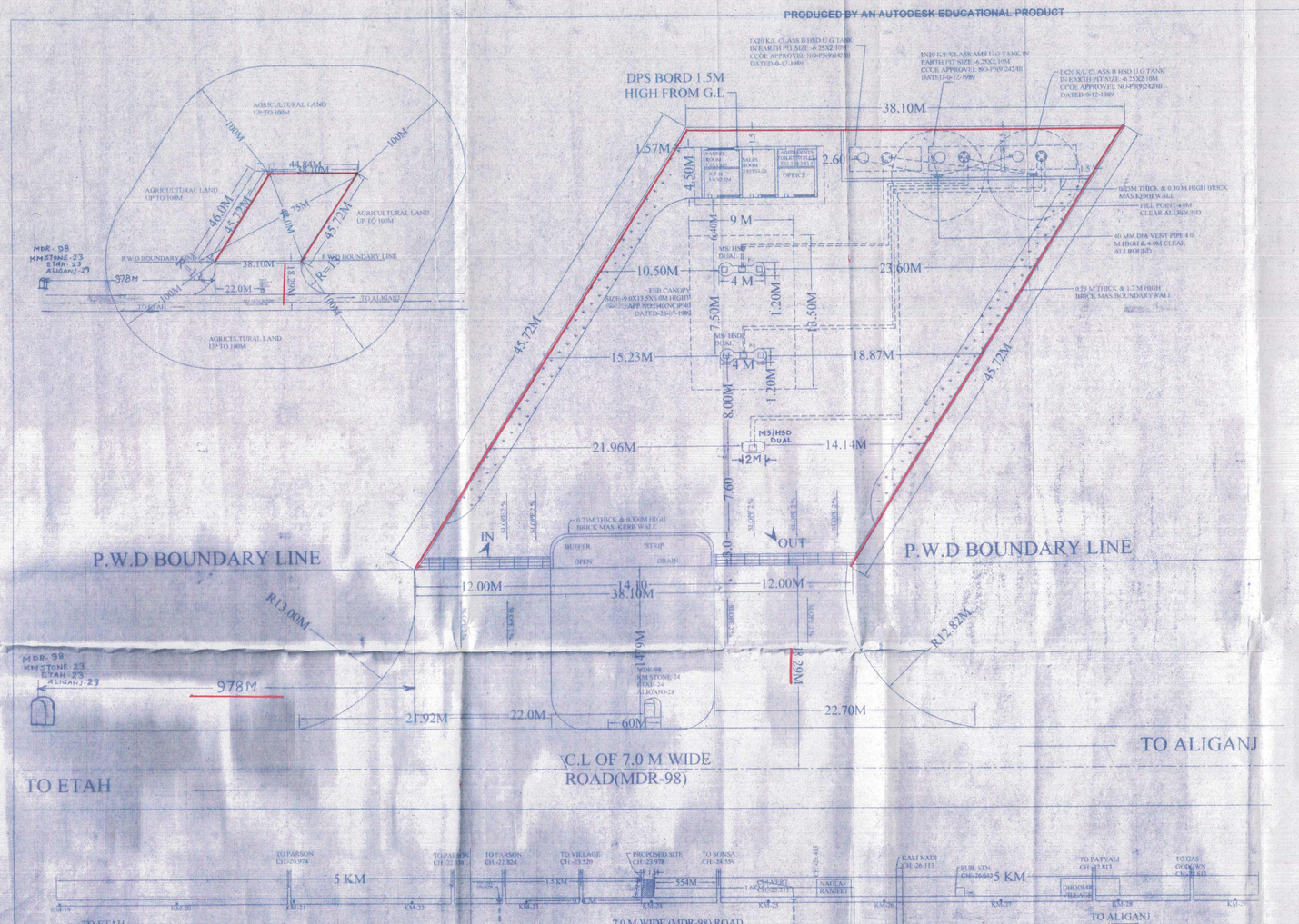

SITE DETAILS

KHASRA NO	680 SA
VILLAGE	SONSA
TEHSIL	ETAH
POST OFFICE	ETAH
PIN CODE	207001
POLICE STN.	BAGWALA
RAILWAY STN.	ETAH
DISTRICT	ETAH
STATE	U.P

NORTH POINT

LEGENDS REPRESENT

S	SUCTION POINT / PIPE LINE CONNECTING UNDER GROUND TANK AND DISPENSING UNIT.
B	BANNER SIGN / EMBLEM POLE / TOTEM.
MR	UNDER GROUND TANKS INSTALLED IN MASONARY PIT UNDER RCC SLAB.
BS	BUFFER STRIP 3 M INSIDE THE PREMISES IN BRICK MASONARY 275MM HIGH 250MM THICK.
EV	EXTNDED VENT PIPE WITH VENT HOOD ON TOP, 4 M AWAY FROM BOUNDARY WALL / BUILDING AND 4 M HIGH FROM GROUND OR 1500MM HIGH FROM BUILDING ROOF IF FIXED ON BUILD. WALL.
BW	0.23 M THICK & 1.20 M HIGH BOUNDARY WALL IN BRICK MASONARY AROUND RETAIL OUTLET AREA.
KW	KERB WALL 275MM HIGH, 250MM THICK, IN BRICK MASONARY / CONCRETE BLOCKS.
SB	6 Nos DRY SAND BUCKETS PROVIDED AT SITE.
FE	4 Nos FIRE EXTINGUISHER'S PROVIDED AT SITE. 2 Nos Co2 TYPE, 2 Nos Dcp TYPE.
EVP	EXTENDED VENT PIPE 40MM DIA 4 M HIGH & 4.0 M CLEAR ALLROUND.
EFP	EXTENDED FILL POINT MINIMUM 4 M AWAY FROM BOUNDARY AND BUILDING.
DAP	DOUBLE ARM POLES FOR FLOOD LIGHT.
SAP	SINGAL ARM POLES FOR FLOOD LIGHT.
DPS	DOUBLE POLE SWITCH / CONTROL PANNEL, 1.5 M HIGH FROM G.L
F/V/D	FILL / VENT / DIP POINTS OF UNDER GROUND TANKS.
SC	STEEL CANOPY APPROVAL NO. CCE G-40 (NC) P-CANOPY DATED-26.07.89 & MINIMUM HEIGHT - 6 M.

LEGEND	DESCRIPTION	DIMESION	CAPACITY	PIT TYPE	EXPLOSIVE APPROVAL NO.
T1	MS U/G TANK	2.10 X 6.25 M	20.00 KL	EARTHERN	CIE:P-3(9)242 DATE-11.06.1968
T2	HSD U/G TANK	2.10 X 6.25 M	20.00 KL	EARTHERN	CIE:P-3(9)242 DATE-11.06.1968
T3	HSD U/G TANK	2.10 X 6.25 M	20.00 KL	EARTHERN	CIE:P-3(9)242 DATE-11.06.1968
P1	PUMP ISLAND	4.00 X 1.2 M	MASONARY / CONCRETE PEDESTAL FOR ELECTRICALLY OPERATED FLAME PROOF PUMP CONFORMING IS - 2148.		
P2	PUMP ISLAND	4.00 X 1.2 M			
P3	PUMP ISLAND	4.00 X 1.2 M			

NOTES:-

1. VENT PIPE 4.0 M CLEAR ALLROUND FITTED WITH TWO LAYER OF NON CORRODABLE WIRE GUAGE OF 11 MESH /LINER CM SQUARE.
2. FILL POINT FITTED WITH CAMLOCK COUPLING& AIR TIGHT THREADED BRASS CAP DECAINTING FROM TANK LORRY.
3. DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRIC ARE FLAMPROOF CONFORING TO IS-2148.
5. ALL THE DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRIAN WITH IN 6 MTR FORM U.G TANK & D.U.S.
7. PREMISES TO BE USED ONLY FOR STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANK ARE PAINTED WITH TWO LAYER OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LID PRIMER TO PROTECT AGAINST CORRISION.
9. FEBRICATION OF U.G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS 10987:1998 AS PER CCOE NAGPUR ORDER NO G-40(SC)P/MISC. 94 DATED 24-02-1999.
10. ALL DIMENSIONS ARE IN MTRS.
11. SB= SAND BUCKETS 30 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
12. FE= FIRE EXTINGUISHER'S 10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
13. TANK SHOULD BE GIVEN HYDRULIC PRESSURE TEST TO BEFORE INSTALLATION AND BEFORE ANY PEROTECTIVE COATING IS APPLIED.THE TEST SHOULD BE MENTION AT A CONTROLL PRESSURE OF 0.36 KG/CM2 FOR TWO HOURS.
14. DIP ROAD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG.
15. FEBRICATION THICKNESS OF TANK SHELL PLATES AND END PLATES. 20K/L SHELL -6MM , END- 8MM
16. TANK CONFORM TO CLAUSE 124,125&131 OF PETROLEUM RULES 2002.
17. ALL LIGHT POLES FITTED AS PER APPROVELS OF CCOE NAGPUR VIDE LETTER NO-PUB(MB-1) DATED 25.11.03.
18. NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MENTION FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19. SITES MEETS APPLICABLE AS PER IRC NORMS 1983 WITH LATEST AMMENDMENTS.
20. E.V= EXTENDED VENT PIPE.
21. E.F= EXTENDED FILL POINT.
22. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING OVER THE SITE.
23. THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO MCASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
24. ALL NECESSARY APPROVALS FROM CONCERN DEPARTMENT TO BE OBTAINED.

LICENSE DETAILS.

PESO. LIC. NO. P/CC/UP/14/ (P)

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)
65/2, Sanjay Place, Agra.

Indian Oil
A Maharatna Company

NAME OF RO:-

LOCATION:- ROAD:-ETAH - ALIGANJ (MDR-98) ROAD
VILLAGE:-SONSA
TEHSIL:-ETAH
DISTRICT:-ETAH
STATE:- UTTAR PRADESH

DRAWING NO:-IOCL/RO/9/15
DT-01.07.2015
Scale:-As Shown Above

DATE	REVISION

MGR(E) MGR(RS) SDRSM

SCALE :- AS SHOWN ABOVE

DRAWN BY:- VINAY KUMAR

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल मानचनी 20/80 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट–1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल टाउन एरिया सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित स्थल ग्रेट ओलीगंज मार्ग (मृदुल जिला मार्ग–98) के किमी0–24 (फेजेज–23978 किमी0) के बायीं ओर पड़ता है।
6. प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये न किमी0 की दूरी पर सर्विस सेण्टिर नहीं है।
8. कवर स्ट्रिप 14.10 मीटर लम्बाई एवं 6मीटर चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर की चौड़ाई (सामने 12.00 मीटर है)।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड संख्या–12–2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण मार्ग की मध्य रेखा से कवर स्ट्रिप 29 मीटर पम्प 28.9 मीटर, 36.9 मीटर, 41.99 मीटर एवं भवन निर्माण 50.99 मीटर की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है।

क. आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्चर–3) पर चर्म से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस सम्बन्ध अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उपय कर की जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।

ख. आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व उपरान्त मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।

ग. आवेदक द्वारा किसी भी दशा में वर्षा के प्रवेशमान एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा।

घ. विभिन्न स्टेशन की सतह को मार्ग की लेवेल सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।

11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग पर 1.00मीटर स्थान की अवशि0नि0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड सन्नी में 1.00 मीटर चौड़ाई का ड्रेन बनाकर फरर स्टील पाइप के कैटिल कंचर बना दिया जाय ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साइट ड्रेन से होकर आगे प्रवाहित नाली/नाले में बह सके। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द नहीं किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित कराना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग का ग्राल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0–13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
13. कवर स्ट्रिप के पास हैंडिज की ऊँचाई 60 से0मी0 से ऊपर न रखी जाये।
14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0 मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामिग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य से 18.29 मीटर की दूरी के कम पर कोई भवन निर्माण नहीं होना चाहिए।
15. प्रस्तावित स्थल के 300 मीटर दोनों ओर कोई रोड क्रोसिंग नही होनी चाहिए।
16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचारधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
17. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाए इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. लो0नि0वि0 मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक–आर0डब्ल्यू/एन0एच. 33023–19/99–डी0ओ0यू0वीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइनों का अनुपालन करना होगा।

(Sanjay Kumar)
Assistant Engineer
P.D. P.W.D. Etah

सहायक अभियन्ता
लोकनिर्माण विभाग
प्रान्तीय खण्ड

अधिशासी अभियन्ता
लोकनिर्माण विभाग

(वी0 डी0 शर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
लोकनिर्माण विभाग
प्रान्तीय खण्ड

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT